

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

देवला उर्फ देरीहकाम बनाम ह.लाल वगैरे

क्रमा प्रथम पत्रा हु. अ. मुकदमा नं. FT-11/2018 सन् 2018

क्रम	हुकम या कार्यवाही भय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
09/18	<p>वकील जार्ज श्री हेसाज मावलिमा ने हाजिर अदालत होकर प्रथम पत्र हुकम अचानकता पेश किया। प्रथम फा दर्ज रिजिस्टर किया जावे। अजायगीण की तलबी जरिए सम्मन की जाल पत्रावली दिनांक 18/10/18 को पेश हो</p>	
18/10	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुसन्धित/ पीठासीन अधिकारी को पत्र/ अन्य कार्य में वास्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-27/11/18 को पेश हो</p>	
05/03/19	<p>दिनांक पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुसन्धित/ पीठासीन अधिकारी को पत्र/ अन्य कार्य में वास्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आई म दिनांक-20/05/19 को पेश हो</p>	
20/05/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुसन्धित/ पीठासीन अधिकारी को पत्र/ अन्य कार्य में वास्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-14/06/19 को पेश हो</p>	
14/06/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुसन्धित/ पीठासीन अधिकारी को पत्र/ अन्य कार्य में वास्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-05/07/19 को पेश हो</p>	
05/07/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुसन्धित/ पीठासीन अधिकारी को पत्र/ अन्य कार्य में वास्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-23/07/19 को पेश हो</p>	

23⁰⁷/₁₉

पत्रावली पेश हुई। बकूलाग उप.
अनुपरिष्ठा/ पोटासी अधिकारी
द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा
दिनांक-06/08/19 को पेश हो।

26⁰⁸/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकील डा. जी. उप. अ. अ. अ.
गण सं. 1 ता 4 की तलबी जारी सम्मन
की जाण्ट प्रिसल दिनांक 21/08/19 को
पेश हो। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त।

21⁰⁸/₁₉

पत्रावली पेश हुई। बकूलाग उप.
अनुपरिष्ठा/ पोटासी अधिकारी
द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा
दिनांक-24/09/19 को पेश हो।

24⁰⁹/₁₉

पत्रावली पेश हुई। बकूलाग उप.
अनुपरिष्ठा/ पोटासी अधिकारी
द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा
दिनांक-01/10/19 को पेश हो।

01¹⁰/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकील डा. जी. उप. अ. अ. अ.
हुक्म अस्मानना से संबंधित मूल वादपत्र में
आज आम्बिक डिक्री जारी की जा चुकी
है। पत्रावली के मूल अधिकारों का निर्धारण
मूल वादपत्र में किया जाता है। अर्पण पत्र
हुक्म अस्मानना में आगे कोई कार्यवाही अर्पण
नहीं है। कार्यवाही उकाण इसी स्तर पर जारी
किया जाता है। पत्रावली फंसल द्वारा होकर
नम्बर से कम हो तथा वाद तलबील दाखिल
दफ्तर हो। निर्णय बुले न्यायालय में सुनाया
गया।